प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें

प्रवासी श्रमिकों के संकट पर अंततः सुप्रीम कोर्ट की नींद खुली और उसने महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप किया पर यह अपेक्षा से बहुत कम और बहुत देर से आई राहत थी। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को अपने आदेश में यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रवासी श्रमिक 15 दिनों के भीतर अपने घर सही सलामत पहुँचें। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो कहा उसका सारांश इस तरह से है -

केंद्र/राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अटके पड़े ऐसे प्रवासी श्रमिकों की पहचान करेंगे और अगर ये लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें 15 दिनों के भीतर उनके घर भेजने के लिए परिवहन की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक कदम उठाएँगे। श्रमिकों की पहचान को आसान बनाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया जाए और परिवहन की जानकारी को प्रचार और प्रसार माध्यमों से व्यापक रूप से फैलाया जाए।

राजयों/केंद्र शासित प्रदेशों के 171 श्रमिक ट्रेनों की माँग के अतिरिक्त केंद्र सरकार इस तरह का आग्रह प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर और ज़्यादा श्रमिक ट्रेन उपलब्ध कराएगा।

अपने गाँव लौटनेवाले श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोज़गार की कौन-कौन योजनाएँ उपलब्ध हैं इस बारे में केंद्र और राज्य सरकारें विस्तृत हलफ़नामा अदालत में पेश करेंगी।

राज्य सभी ब्लॉक और ज़िला स्तरों पर प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार योजनाओं के बारे में सूचना एवं परामर्श देने के लिए परामर्श केंद्रों की स्थापना करेंगे। अगर इनमें से कोई श्रमिक रोज़गार पाने के लिए उस स्थान पर जाना चाहता है जहां वह पहले काम करता था, तो यह केंद्र उन्हें इस बारे में भी मदद देगा।

सभी प्रवासी श्रमिक जो अपने घर लौट चुके हैं उनके बारे में गाँव, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर विवरण रखा जाएगा ताकि प्रवासी श्रमिकों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाया जा सके। राज्य सरकारें अदालत में हलफ़नामा दायर कर उनके राज्य में आनेवाले प्रवासी श्रमिकों के बारे में पूरा विवरण देंगी कि इनकी संख्या क्या है, पहले वे क्या काम करते थे, उनकी कुशलता किस क्षेत्र में है और उनके लिए उपलब्ध अवसर क्या हैं।

सभी राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रवासी श्रमिकों के ख़िलाफ़ दायर मुक़दमे वापस लेने पर ग़ौर करेंगे जिन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 और अन्य प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

हम अदालत के उपरोक्त आदेशों की प्रशंसा करते हैं और इन्हें बड़ा राहत मानते हैं पर इस आदेश में जिन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है उनमें से कुछ की चर्चा ज़रूरी है ***:***

प्रवासी श्रमिकों की पहचान और उनके पंजीकरण को दायित्वपूर्ण व्यवस्था का रूप नहीं दिया गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने और श्रमिकों को पास के पुलिस थानों या स्थानीय प्रशासन में पंजीकरण कराने का आदेश देने से पहले पुलिस को इस बारे में संवेदनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा ज़रूरी था और गाँव/ब्लॉक/ज़िला स्तर की पंचायत समितियों, विधायकों को श्रमिकों को सक्रिय रूप से श्रमिकों की मदद करने को कहना चाहिए था। पंजीकरण फ़ॉर्म की भाषा आवशक रूप से ऐसी हो जिसे प्रवासी श्रमिक समझ सकें और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को आदेश दिया जाए कि वे स्थानीय मीडिया, बिलबोर्ड विज्ञापनों, रेडियो और प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों का प्रयोग कर रोज़गार के अवसरों के बारे में उन्हें बताएँ।

यह भी ज़रूरी है कि प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के बाद उनसे जुड़े व्यापक आँकड़ों का समुचित संरक्षण हो, उनकी निजता सुनिश्चित की जाए और आंकड़ों का प्रयोग लाखों श्रमिकों की ज़बरन निगरानी के लिए न हो और इन आँकड़ों का दोहन न हो। अपने आधार संख्या को लेकर कई श्रमिकों ने इस बारे में अपने अनुभव बताए हैं।

श्रमिक ट्रेन चलाने और इनमें भोजन और पानी उपलब्ध कराने के केंद्र के आश्वासन पर सुप्रीम कोर्ट ने आँख मूँदकर विश्वास कर लिया है। ऐसे कई रिपोर्ट प्रकाशित हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि इन ट्रेनों में सफ़ाई एकदम नहीं थी और श्रमिकों को कतई कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। ऐसी कई रिपोर्ट आई हैं जिनके अनुसार, इन ट्रेनों में कई मज़दूरों की मौत हो गई जिनमें एक दिन में 9 श्रमिकों के मरने की खबर भी है। जब केंद्र को और ज़्यादा ट्रेन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया तो इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

अदालत ने बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के इस दावे पर भी विश्वास कर लिया कि वे सभी प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुँचने पर ₹1000/- देंगे। चूंकी ₹1000/- की राशि पर्याप्त नहीं है, जैसा कि वक़ील इंदिरा जयसिंह ने सुझाव दिया है, इनमें से प्रत्येक को ₹7500/- दिया जाना ज़्यादा ठोस प्रस्ताव है। इस तरह यह महत्त्वपूर्ण है कि सरकार अंतरिम राहत पर ग़ौर करे और श्रमिकों को ज़्यादा नक़द लाभ दिलाए।

इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि श्रमिक ट्रेन में यात्रा मुफ़्त थी। बहुतेरे रिपोर्ट यह बताते हैं कि श्रमिकों से ट्रेन टिकट के पैसे लिए गए। अदालत को इस बात की तह में जाना चाहिए और आनेवाले दिनों में सभी ट्रेनों में यात्राएँ मुफ़्त होनी चाहिए।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे मज़दूर हेल्पलाइन, हेल्पडेस्क बनाएँ और श्रमिकों की पहचान की व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करें। गाँव से ज़िला और केंद्र के स्तर तक सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारण की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

अदालत ने राज्यों के इस दावे पर कोई आँकड़ा नहीं माँगा या इस बात की जाँच नहीं की कि कई कामगार वहाँ वापस चले गए हैं जहां वे पहले काम करते थे। भारी संख्या में श्रमिकों को कथित रूप से उनके घर पहुँचाने के दावे के बारे में आंकड़े पेश करते हुए राज्यों ने उन श्रमिकों के बारे में कोई वास्तविक आकलन नहीं पेश किए जो अपने गाँव वापस नहीं गए या अपनी नौकरी पर दुबारा लग गए। यह ज़रूरी है कि इनका आकलन हो और दस्तावेजीकरण भी ताकि भविष्य में हमारी तैयारी बेहतर हो।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि विभिन्न राज्यों ने श्रमिकों के बारे में जो आंकड़े दिए हैं उसका आधार क्या है। जितनी संख्या में श्रमिकों को उनके घर वापस भेजने के दावे किए जा रहे हैं उनकी पूरी पड़ताल की ज़रूरत है।

ज़मीन पर इस आदेश को लागू करने पर हमारी नज़र होगी और हम इसे लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे**!**